रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 8 मई, 1995/18 वैशाख, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 24 अप्रैल, 1995

संख्या ई० एक्स० एन०-एफ०(11) 35/74-3.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से तुरन्त पूर्व हिमाचल प्रदेश के समाविष्ट क्षेत्रों को यथा लागू और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा-5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा-56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमांडिंग आफिर, डोगरा स्काऊट मार्फत 56 ए० पी० ओ० जो अपना रजत जयन्ती समारोह दिनांक 9-5-1995 से 12-5-1995 तक मना रहे हैं, में प्रयोग होने वाली मदिरा पर से आबकारी शुल्क तथा असस्ड फीस जो रु० 33000/- रुपये बनती है, पर से छूट प्रदान करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-2, 27 अप्रैल, 1995

संख्या ई0एक्स0 एन0-एफ (11) 35/74-3.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से तुरन्त पूर्व हिमाचल प्रदेश के समाविष्ट क्षेत्रों को यथा लागू और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा-5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा-56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आफिसर, कमांडिंग, मिलिट्री पुलिस यूनिट, एच0 क्यू0 सी0 ई0 दीपक मार्फत 56 ए0 पी0 ओ0 जो अपना स्थापना दिवस 5 व 6 मई, 1995 को मनाने जा रहे हैं, में प्रयोग होने वाली मदिरा पर से आबकारी शुल्क तथा असैस्ड फीस जो रु0 2650/- रुपये बनती है, पर से छूट प्रदान करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।